



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2177]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2013/भाद्र 25, 1935

No. 2177]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2013/ BHADRA 25, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2794(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:—

सारणी

नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
37	असम राज्य में नुमालीगढ़ - डिब्रूगढ़ खंड	किमी 403.20 से किमी 580.978

[फा. सं. एनएच-14013/11/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2794(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, specified in column (3) of the Table below, of the section specified in column (2) of the said Table, of the National Highway numbers specified in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely :—

## TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
37	Numaligarh-Dibrugarh section In the State of Assam.	From Km. 403.20 to Km. 580.978

[F. No. NH-14013/11/2013-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2795(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 [किमी 963.000 से किमी 1126 (रारा-31सी/31-नलबाड़ी गुवाहाटी जंक्शन) तक खंड को छोड़कर], सं. 31बी, सं. 36 [किमी 0.000 से किमी 38.000 (डलकोला से नगांव खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37 [किमी 146.000 से किमी 274.000 (गुवाहाटी बाइपास सहित गुवाहाटी से नगांव) तक खंड को छोड़कर, और किमी 403.20 से किमी 580.978 (नुमालीगढ़ - डिब्रेगढ़ खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 37ए, सं. 38, सं. 39, सं. 44, सं. 51, सं. 52 [किमी 345.000 से किमी 510.000 (नार्थ लखीमपुर से जोनाई खंड) और किमी 845.000 से किमी 876.000 (रूपाई से सीतापानी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 52ए, सं. 52बी, सं. 53, सं. 61, सं. 151, सं. 152, सं. 153, सं. 154, नई रारा सं. 315ए और नई रारा सं. 127बी के उतने भाग जो कि असम राज्य में अवस्थित हैं।	असम राज्य सरकार’.
----	---	-------------------

[फा.सं. एनएच-14013/11/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1961 (अ), 2 जुलाई, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2795(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“3	<p>So much of National Highways No. 31 [excluding Km. 963.000 to Km. 1126 (Junction of National Highways 31C/31-Nalbari Guwahati)], No. 31B, No. 36 [excluding from Km. 0.000 to Km. 38.000 (section from Daboka to Nagaon)], No. 37 [excluding from Km. 146.000 to Km. 274.000 (Guwahati to Nagaon including Guwanhati Bypass) and from Km. 403.20 to Km. 580.978 (Numaligarh-Dibrugarh section)], No. 37A, No. 38, No.39, No. 44, No. 51, No.52 [excluding from Km.345.000 to Km. 510.000 (section from North Lakhimpur to Jonai) and from Km. 845.000 to 876.000 (section from Rupai to Sitapani)] , No. 52A, No. 52B, No. 53, No. 61, No. 151, No. 152, No. 153, No. 154, new NH No.315A and new NH No.127B as are situated within the State of Assam.</p>	State Government of Assam”.
----	--	-----------------------------

[F. No. NH-14013/11/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Note :** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1961 (E), dated the 2nd July, 2013.